

बिहार सरकार  
आपदा प्रबंधन विभाग

433

दिनांक-19.06.2015 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कमजोर रहने के फलस्वरूप सामान्य से कम वर्षा के आलोक में सम्पन्न आपदा प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति :-

1. प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग,
2. प्रधान सचिव, कृषि विभाग,
3. प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
4. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग
5. प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग
6. प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट ट्रांसमिशन कम्पनी लि०
7. निदेशक, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
8. निदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग
9. निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
10. विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग
11. अधिक्षण अभियंता (निदेशक), सिंचाई मोनेटरिंग सर्कल, जल संसाधन विभाग

दक्षिण-पश्चिम मानसून 2015 से राज्य में अल्प वर्षापात/सुखाड़ की संभावना को देखते हुए आपातकालीन प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक में विभागवार समीक्षा की गई और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया जो निम्नवत है :-

**1. भारत मौसम विज्ञान विभाग**

भारत मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक ने दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून के आगमन की सूचना देते हुए बताया कि बंगाल की खाड़ी में मॉनसून के कमजोर होने के कारण 22-23 जून से बिहार में मॉनसून आगमन की संभावना है। माह जून-जुलाई के तुलना में माह अगस्त-सितम्बर में वर्षापात में कमी अधिक होगी।

**2. कृषि विभाग**

प्रधान सचिव, कृषि विभाग द्वारा बताया गया कि अबतक धान की बिचड़े का आच्छादन लक्ष्य के विरुद्ध 13.89 प्रतिशत एवं मक्का का आच्छादन 2.28 प्रतिशत हुआ है। मानसून की कमजोर स्थिति के मद्देनजर धान के उत्पादन के साथ-साथ बड़े क्षेत्रफल में मक्का के उत्पादन पर भी बल दिया जाएगा। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि डि०एस०आर० विधि के तहत 46,245 एकड़ में चावल की सीधी बोआई, 117409 एकड़ क्षेत्र में चावल के प्रतिरोधी प्रभेदों के प्रत्यक्षण का कार्यक्रम है एवं राज्य में 5900 एकड़ क्षेत्र में अरहर / सरस / मंग

17981 एकड़ क्षेत्र में मक्का के अन्तर्वर्ती खेती का कार्यक्रम है। साथ ही 20833 एकड़ में हाइब्रीड मक्का के प्रत्यक्षण कार्यक्रम है। खरीफ 2015 में सामान्य से कम वर्षापात के पूर्वानुमान के आलोक में राज्य में 350000 हेक्टेयर क्षेत्र में आकस्मिक फसल योजना के अन्तर्गत विभिन्न फसलों के आच्छादन का कार्यक्रम है। सिंचाई के लिए डीजल अनुदान के अन्तर्गत ₹769.06 करोड़ एवं आकस्मिक फसल योजना के अन्तर्गत ₹24.28 करोड़ कुल ₹793.34 करोड़ की राशि की स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया की धान के आच्छादन के क्षेत्रफल में बिना कमी करते हुए मक्का उत्पादन के क्षेत्रफल में वृद्धि की जाय और इसके लिए अभी से ही कार्य योजना बना ली जाय। क्योंकि पिछले वर्ष अंतिम समय में मक्का उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाने के कारण उतनी सफलता नहीं मिली थी। इसके साथ ही डीजल अनुदान की व्यवस्था भी की जाय। डीजल अनुदान किसानों का मनोबल बनाए रखता है। उन्होंने यह भी निदेशित किया कि धान का आच्छादन बढ़ाने के लिए Broadcasting आच्छादन हेतु प्रयास किया जाय तथा सामुदायिक नर्सरी तैयार की जाए ताकि कम वर्षा होने पर भी बिचड़े उपलब्ध हो सके।

### 3. लघु जल संसाधन विभाग

प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि सिंचाई हेतु 10000 राजकीय नलकूपों के विरुद्ध मात्र 2800 नलकूप ही कार्यरत है। जिससे 1.12 लाख हेक्टेयर में ही सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जा सकता है। यांत्रिक एवं विद्युत दोष से बंद पड़े नलकूपों को चालू करवाने की कार्रवाई की जा रही है। निजी नलकूप लगाने की गति तेज करने हेतु डी0आर0डी0ए0 के माध्यम से सब्सिडी का वितरण किया जा रहा है। साथ ही Channels की मरम्मति का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है। मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया की नलकूपों की मरम्मति एवं Channels की मरम्मति अविलम्ब पूरी की जाय और साथ में प्रत्येक जिले में कम से कम पाँच अतिरिक्त मोटरपम्प और लघु मरम्मति के लिए आवश्यक कलपूर्जे आरक्षित कर रखने की व्यवस्था की जाए ताकि आवश्यकतानुसार मरम्मति अविलम्ब हो सके। प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग से उपर्युक्त के संबंध में एक कार्ययोजना तथा प्रत्येक सप्ताह बैठक में नलकूपों से सिंचित होने वाले क्षेत्रफल तथा यांत्रिक एवं विद्युत दोष से बंद पड़े नलकूपों के स्थिति का प्रतिवेदन की मांग की गयी।

### 4. ऊर्जा विभाग

प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट ट्रांसमिशन कम्पनी लि0, पटना द्वारा बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं तथा 71 जले हुए ट्रांसफॉर्मर के विरुद्ध 41 ट्रांसफॉर्मर को बदल दिया गया है। मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में खरीफ फसल के आच्छादन के पूर्व निर्बाध रूप से 6 से 8 घंटे विद्युत आपूर्ति की कार्य योजना तैयार कर ली जाय तथा ट्रांसफॉर्मर की खराबी से बंद पड़े नलकूपों को शीघ्र उर्जांचित करने की कार्रवाई की जाए।

## 5. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा हर जिला के प्रत्येक प्रखण्ड के 5 चापाकलों के भू-जलस्तर की मोनेटरिंग की जा रही है। वर्ष 2013 की तुलना में कहीं भी भूगर्भ जल स्तर में कमी नहीं आयी है। माह जून 2014 की तुलना में रोहतास, कैमुर, बक्सर, भागलपुर, भोजपुर एवं बांका में जलस्तर में 1 से 3 फीट गिरावट हुई है। नये चापाकलों का अधिष्ठापन एवं पुराने चापाकलों की लघु मरम्मत की कार्रवाई की जा रही है। गया जिले के शहरों क्षेत्रों में टैंकर से पेय जल की आपूर्ति किया जा रहा है। मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निविदा आमंत्रण आदि का कार्य ससमय पूरा कर लिया जाय। यह भी निदेश दिया गया कि लघु जल संसाधन विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर भू-जल स्तर का प्रतिवेदन तैयार करेंगे और पृथक-पृथक डॉटा नहीं भेजेंगे। यह भी ध्यान दिया जाय कि गुणवत्तापूर्ण पेयजल की आपूर्ति किया जाय और जहां बोरिंग पुराना हो गया है उसे मरम्मत करने की अविलम्ब कार्रवाई की जाय। साथ ही टैंकरों से पानी पहुँचाने हेतु आकस्मिक योजना तैयार कर ली जाए।

## 6. स्वास्थ्य विभाग

प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में मानव दवा के भंडारण की कार्रवाई की जा रही है। मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सूखे की स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति के लिए अग्रिम कार्य योजना तैयार कर ली जाय।

## 7. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

निदेशक, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि पशु दवा जिलों में उपलब्ध है। वर्षा की कमी के कारण पशु चारे की कमी होना संभावित है। वर्षा के अभाव में पशुओं के लिए जल संकट की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। मुख्य सचिव ने निदेश दिया कि राजकीय नलकूप, तालाब, जलाशय को चिह्नित कर पशु शिविर स्थापित करने की व्यवस्था की कार्य योजना तैयार कर ली जाय। साथ ही सूखे चारे की आपूर्ति हेतु स्रोत चिह्नित कर लें एवं निविदा आमंत्रित कर पशु चारा का दर निर्धारण की कार्रवाई शीघ्र कर ली जाए।

## 8. जल संसाधन विभाग

अधिक्षण अभियंता (निदेशक), सिंचाई मोनेटरिंग सर्कल, जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि कोशी नदी में कुल 64490 घनसेक जलश्राव प्रवाहित हो रहा है। पूर्वी कोशी नहर प्रणालियों में पुनर्स्थापन कार्य के कारण अभी जल आपूर्ति बन्द है तथा पश्चिमी कोशी नहर प्रणाली में 500 घनसेक जलश्राव दिया जा रहा है। गंडक नदी में वर्तमान में कुल 20750 घनसेक जलश्राव प्रवाहित हो रहा है, जिसमें से तिरहुत नहर प्रणाली में 4800 घनसेक, दोन नहर प्रणाली में 100 घनसेक एवं त्रिवेणी नहर प्रणाली में 150 घनसेक जलश्राव दिया जा रहा

430  
 है। पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली में 3000 घनसेक जलापूर्ति की जा रही है जिसमें से सारण मुख्य नहर प्रणाली में 1660 घनसेक जलश्राव दिया जा रहा है। सोन नदी के इन्द्रपुरी बराज में 3805 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमें से पूर्व नहर प्रणाली में 905 घनसेक तथा पश्चिमी नहर प्रणाली में 2900 घनसेक जलश्राव दिया जा रहा है।

प्रमुख जलाशयों में जल भंडारण की स्थिति निम्नवत है:-

क्र०	जलाशय का नाम	कुल संचयन क्षमता	दिनांक-12.06.2015 की स्थिति (फीट में)	दिनांक-19.06.2015 की स्थिति (फीट.में)
1	चन्दन	110000	443.40	445.50
2	बदुआ	89000	367.00	366.70
3	ओढ़नी	33550	393.00	392.80
4	ऑजन	20030	367.00	364.00
5	बेलहरना	11805	Below D.S.L	Below D.S.L
6	खड़गपुर झील	13200	206.80	206.80
7	विलासी	23400	286.00	287.00
8	मोरवे	10800	246.50	246.50
9	नागी	7700	Below D.S.L	Below D.S.L
10	गरही जलाशय	68500	523.40	523.30
11	कोहिरा	22210	Below D.S.L	Below D.S.L
12	बटाने	48600	Below D.S.L	Below D.S.L
13	फुलवरिया	41563	568.10	568.00
14	नकटी जलाशय	11320	Below D.S.L	Below D.S.L

मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि किस जलाशय द्वारा कितना पानी दिया जा सकता है उसका क्षेत्रवार आकलन कर प्रतिवेदित करें और नहर की सभी वितरणी को ठीक करा लें और बांधों की मरम्मत भी सुनिश्चित कर लें। सभी गेट सही है कि नहीं यह भी देख लें तथा नहरों से अन्तिम छोर तक सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाए।

#### 9. ग्रामीण विकास विभाग

विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बताया गया कि मनरेगा के अंतर्गत सभी पंचायतों में शेल्व ऑफ वर्क तैयार कर लिया गया है। निदेशित किया गया कि प्रत्येक पंचायतों में water recharge की योजनाएँ, यथा, नाला, तालाब, वृक्षारोपण की योजनाएँ चलाने की कार्य योजना तैयार कर ली जाए।

#### 10. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मुख्य सचिव के द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को शताब्दि अन्न कलश योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक पंचायत तथा शहरी क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में 2 - 2

क्वीटल खाद्यान्न रिवाल्विंग स्टॉक के रूप में चिन्हित जनप्रणाली विक्रेता के पास रखवाने का निदेश दिया गया है।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी। अगली बैठक दिनांक 26.06.15 को 5.30 बजे अपराहन आहुत करने का निर्णय लिया गया।

ह0/-  
(ए0 के0 सिंह)  
मुख्य सचिव  
बिहार

ज्ञापांक 1प्रा0आ0-07/2014.2360/आ0प्र0 पटना-15, दिनांक-24/6/15  
प्रतिलिपि: कृषि उत्पादन आयुक्त/ प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/जल संसाधन विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/, कृषि विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ उर्जा विभाग/खाद्य एवं उपभोक्त संरक्षण विभाग/ निदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग/ निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुनील कुमार)  
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0-07/2014.2360/आ0प्र0 पटना-15, दिनांक-24/6/15  
प्रतिलिपि: मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/ विकास आयुक्त बिहार के प्रधान आप्त सचिव/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

(सुनील कुमार)  
संयुक्त सचिव